रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224863 CG-DL-E-01022021-224863

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] No. 438] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/माघ 12, 1942 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

का.आ. 479(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के नामांकन को अधिसुचित करती है:-

क्र.	नाम	अधिनियम की धारा
सं.		
1.	श्री नवीन कु. चौधरी, प्रधान सचिव, पशु एवं भेड़ पालन विभाग (प्रशासनिक सचिव, कृषि / बागवानी और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार), जम्मू और कश्मीर	अधिनियम की धारा 4(3)(ज) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर सरकार की सिफारिश पर नामित

[फा. सं. 25011/17/2019-रेशम]

संजय शरन, संयुक्त सचिव

643 GI/2021 (1)

MINISTRY OF TEXTILES NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

S.O. 479(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Shri Navin K. Choudhary, Principal Secretary, Animal & Sheep Husbandry Dept. (Addl. Charge of Administrative Secretary, Agriculture/ Horticulture & Cooperatives Dept.), Govt. of Jammu & Kashmir	Nominated on the recommendation of Govt. of Jammu & Kashmir under Section 4(3) (h) of the Act.

[F. No. 25011/17/2019-Silk] SANJAY SHARAN, Jt. Secy.